राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/208 दिनांक:– 19/6/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय:–एनआरएचएम योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित जीएनएम में से दिनांक 28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहे अभ्यर्थियों को हटाने के संबंध में ।

–:–

एनआरएचएम योजना के तहत प्रथम चरण में व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जिला स्तर पर आपके द्वारा 2500 जीएनएम रखे गये थे, जिसमें जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी । इस बिन्दू के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर में एस0बी0सि0 रिट पिटि0 संख्या 741/08 संतलाल यादव व अन्य बनाम सरकार दायर हुई, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 8.5.08 को निर्णय पारित किया गया । जिसकी पालना में दिनांक 28.2.09 को राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई । जिसमें प्रथम चरण में चयनीत अनेक जीएनएम कम प्राप्तांक होने के कारण अपना स्थान बनाने में असफल रहे । मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार वरीयता सूची से छूटे हुये उन सभी अभ्यर्थियों का 31.3.09 के बाद नवीनीकरण नहीं किये जाने के निर्देश निदेशालय के पत्रांक 123–124 दिनांक 30.3.09 द्वारा प्रसारित किये गये थे, इस आदेश से व्यथित हो कर इनमें से अनेक अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में अनेक याचिकाऐं दायर की गई, जिनमें से कुछ याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश देते हुये इन कम वरीयता के अभ्यर्थियों को हटाने पर तत्कालिक रोक लगाई ।

चूंकि अब मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा ऐसी लगभग सभी याचिकाओं का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है, जिनमें ऐसे अभ्यर्थियों की याचिकाऐं खारिज करने के साथ ही इन अभ्यर्थियों के पक्ष में जारी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश के आधार पर उन्हे अनुबन्ध सेवा पर जारी रखने का औचित्य समाप्त हो चुका है ।

आपकी सुविधा के लिये मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा ऐसी जिन याचिकाओं में अंतिम निर्णय दिये गये हैं, उन सभी याचिकावार एवं निर्णय दिनांकवार सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है । जिनमें लगभग एक समान निर्णय मा0 न्यायालय द्वारा उक्त पैरा में वर्णित अनुसार किया गया है ।

अत: संलग्न सूची में वर्णित याचिकाओं में अंतरिम स्थगन आदेश के तहत यदि आपके अधीन दिनांक 28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में स्थान बनाने में असफल अभ्यर्थी कार्यरत/अनुबन्धित है, तो उसे तत्काल हटावें । आपके यहां कार्यरत किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश यदि अब भी प्रभावी है तो उसका विस्तृत विवरण विशेष वाहक के साथ निदेशालय को तत्काल भिजवावें, ताकि मा0 न्यायालय से उनके संबंध में उचित आदेश प्राप्त किये जा सकें ।

यदि वरीयता सूची दिनांक 28.2.09 में स्थान पाने से वंचित रहे कम वरीयता के अभ्यर्थी को, उक्तानुसार अंतरिम आदेश समाप्त होने के बावजूद आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया तो उससे होने वाली मा0 न्यायालय की अवमानना / राज्यादेशों की अवेहलना के आप स्वयं जिम्मेवार होगें ।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार याचिकाओं के विवरण की सूची।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/208 दिनांक:– 19/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थन, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

HoD को Email करें

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।